

## सामान्य प्रशासन(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक :—प.2(1)साप्र / 2/2021

जयपुर, दिनांक : २१/६/२१

—: आदेश :—

निम्नांकित अधिकारियों को उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 के प्रावधानान्तर्गत शिथिलता प्रदान कर आउट ऑफ टर्न उनके नाम के समुख अंकित द्वितीय श्रेणी के राजकीय आवास का निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है:—

क्र.सं.	वरिष्ठता संख्या	नाम एवं पदनाम	सेवानिवृत्ति तिथि	आवंटित राजकीय आवास संख्या
1.	02/2021 (द्वितीय श्रेणी)	श्री निकिया गोहाएन आई.ए.एस प्रबंध निदेशक राजस्थान पर्यटन विकास निगम जयपुर	31.07.2044	303, मॉडल टाउन
2.	12/2021 (द्वितीय श्रेणी)	श्री उत्सव कौशल आई.ए.एस. अतिरिक्त कमीशनर, वाणिज्यिक कर विभाग	31.12.2051	301, मॉडल टाउन (रिक्त होने की प्रत्याशा में)
3.	13/2021 (द्वितीय श्रेणी)	श्री अवधेश मीना आई.ए.एस. आयुक्त नगर निगम, हैरिटेज एवं सी.ई.ओ स्मार्ट सिटी, जयपुर	30.11.2054	102, मॉडल टाउन (रिक्त होने की प्रत्याशा में)

शर्तें :—

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश रखतः निरस्त समझा जायेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की रिस्ति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चैंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्थीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल रिस्ति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:—
  1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा स्वयं/पति/पत्नी व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में कोई निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।
9. आवंटियों से कॉमन सुविधा शुल्क के पेटे प्रति माह राशि रूपये 300/- (अक्षरे तीन सौ रुपये मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

राजेन्द्र सिंह शेखावत  
डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल

### प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला कलवर्टर, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव (जीबी), मुख्यमंत्री कार्यालय को उनकी आई.डी. क्रमांक एफ 21002029 दिनांक 21.06.2021 के क्रम में।
4. पुलिस आयुक्त, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर।
5. आयुक्त नगर निगम, हैरिटेज जयपुर।
6. प्रबंध निदेशक, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
7. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर।
8. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
9. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
11. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
12. सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात ही आवण्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
14. अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर/जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल जयपुर।
15. उद्यानविज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
16. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गौपीनगर जयपुर—कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लॉकबोर्ड पर चरणा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजायें।

17. संबंधित अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को सम्मलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे एवं पूर्व आवंटित राजकीय आवास निर्धारित अवधि में नियमानुसार रिक्त कर विभाग को सूचित करेंगे।
18. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
19. रक्षित पत्रावली।

D 21/6/21  
डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल